राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)(ए–175/92)/अलेसे–III/5878 दिनांकः– 11.8.2020.

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार गुप्ता, क0 लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर द्वारा अपराध संख्या 203/2005 अंतर्गत धारा 7, 13 (1) (डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 में पंजीबद्ध होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2/157/कार्मिक (क–3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 26769–778 दिनांक 15.12.2005 के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने की दिनांक 29.09.2005 से निलम्बित किया गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया तथा वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 31/2012–13 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार जो दिनांक 29.09.2005 से निलम्बित चल रहे थे, को पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जांच के निर्णय के पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय न्यायालय सैशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण प्रकरण अलवर के निर्णय दिनांक 05.04.2019 के द्वारा श्री गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (डी) सपठित धारा 13 (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अपराधों के आरोपों में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त किया गया है। उप निदेशक अभियोजन–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 3725–27 दिनांक 28.11.2019 के अनुसार माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 05.04.2019 के विरुद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जा चुका हैं। श्री गुप्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अंतर्गत श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनि. लेखाकार की निलबन अवधि के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं कि :–

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता को निलम्बन काल में भुगतान किये गये निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे तथा
2. अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना के लिए उक्त निलम्बन अवधि को गणना योग्य माना जावेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)(ए–175/92)/अलेसे–III/5878 दिनांकः– 11.8.2020.

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर।
4. कोषाधिकारी, अलवर/डूंगरपुर।
5. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय उपकोषाधिकारी, आसपुर (डूंगरपुर)।
7. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फा

(शिल्पी कौशिक
अतिरिक्त निदेशक (